लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश

Email ID : ucrs.dpi@mp.gov.in

क्रमांक–यूसीआर / सी / 30 / ग्र.पा. / 2025 / 1301, भोपाल, दिनांक 04/7/2026,

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश अराजपत्रित तृतीय वर्ग शैक्षणिक सेवा (अमहाविद्यालयेतर सेवा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 1973 एवं मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम 2013 के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के विज्ञापन के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 31 मई 2018 के नियम 4 ख के आधार पर विशेष जनजातियों (बैगा/भारिया/सहारिया) के पात्रताधारी निम्नानुसार अभ्यर्थियों को ग्रंथपाल निम्न वेतनमान के पद पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाकर कालम 6 में अंकित संस्था / कार्यालय में पदस्थ किया जाता है–

SN	CANDIDATE NAME	ADDRESS	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	2	3	4	5	6	7
1	Ursula Maravi	Village and Post Mohgaon Tehsil Ghughri Pin Code 481663	ST	ST/X/F	DISE-23440148115 GOVT SANDIPANI HS DUNDA SEONI	SEONI
2	Geeta Dhurve	Village and Post Mawai Tehsil Mawai Pincode 481996	ST	ST/X/F	DISE-23440312519 GOVT SANDIPANI HSS KEOLARI	SEONI
3	Shiv Prasad Baiga	Village and Post Bemhori Tehsil Sohagpur	ST	ST/X/OP	DISE-23471119707 GOVT SANDIPANI HSS PUSHPRAJGARH DISTRICT-ANUPPUR	ANUPPUR
4	Suraj Baiga	Village and Post Lalpur Mohar Tola Tehsil Sohagpur Pin Code 484001	ST	ST/X/OP	DISE-23140417005 GOVT SANDIPANI HSS SIRMOUR	REWA
5	Rajkumar Baiga	Village Post Pachgaon (Devintola) Pin Code 484001	ST	ST/X/OP	DISE-23140304044 GOVT SANDIPANI HSS MAUGANJ	MAUGANJ
6	Rajkumari Baiga	Village Padariya Post Padmanio(Khurd) Pin Code 484001	ST	ST/X/F	DISE-23160207016 GOVT SANDIPANI HSS MAU DISTRICT - SHAHDOL	SHAHDOL
7	Dayashankar Baiga	Village Kathautiya Post Sinduri Tehsil Sohagpur	ST	ST/X/OP	DISE-23140301814 GOVT SANDIPANI HSS DEOTALAB	MAUGANJ
8	Sughar Singh Adivasi	Village Mohangarh Post Gadibarod Tehsil Shivpuri Pin Code 473551	ST	ST/X/OP	DISE-23060800560 GOVT SANDIPANI HSS NARWAR	SHIVPURI

2/ **वेतनमान एवं परीवीक्षा** – मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–5 में तत्स्थानी वेतनमान 22100–70,000 के न्यूनतम वेतन रुपये 22100/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा

समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर **एक** वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ अभ्यर्थियों को पदांकित संस्था के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 15.07.2026 तक उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें। अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगें। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से कार्यालय प्रमुख द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराया जाएगा, जिसकी सूची निम्नानुसार है:–

I. नियुक्ति आदेश
II. 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेल एड्रेस
III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ अनुसूचित जनजाति का नवीनतम प्रमाण पत्र)
IV. मूल निवासी प्रमाण पत्र
V. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
VI. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
VII. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड **(परिशिष्ट–1)**

6/ उक्त दस्तावेजों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण कराया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों की राशि जमा करनी होगी।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

9/ उक्त लोकसेवकों की वरिष्ठता समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर विभाग में ग्रंथपाल निम्नश्रेणी वेतनमान के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों से नीचे निर्धारित होगी तथा विशेष जनजातियों के अभ्यर्थियों की आपसी वरिष्ठता आयु में वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित होगी।

विशेष टीप:– 1. यदि चरित्र/जाति/शैक्षणिक/शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

(के. के. द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक–यूसीआर / सी / 30 / ग्र.पा. / 2025 / 1302, भोपाल, दिनांक 4/7/2026,

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी भोपाल ।
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
5. आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल मध्यप्रदेश।
8. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी, ...जिला ....म.प्र. ।
11. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र।
12. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में दिनांक 15.07.2026 तक समस्त मूल दस्तावेज सहित पदांकित कार्यालय / संस्था में अपनी उपस्थिति देवें।

संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश